(क) क्या यह सच है कि दिनांक 25 जुलाई, 2012 के ट्रिब्युन के अनुसार भारत-पाक सीमा पर कटरा से अखनूर तक भारत-पाक सीमा के किसान सीमा सुरक्षा बल द्वारा अपनी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के लिए अभी भी मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन किसानों को मुआवजा दिये जाने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार ने मुआवजा जारी कर दिया है एवं क्या किसानों को मुआवजा प्राप्त हुआ या नहीं और इसमें किसकी गलती है; और

(घ) सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) से (घ): उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, जम्मू, साम्बा और कठुआ जिलों में भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए भू-मुआवजे का कार्य जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार को सौंपा गया है । राज्य सरकार अधिगृहीत भूमि के राजस्व संबंधी कागजात तैयार करने की कार्रवाई कर रही है ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजे का निपटान किया जा सके ।**